



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082022-238026
CG-DL-E-10082022-238026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3589]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944

No. 3589]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का.आ. 3757(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि नियम, 1945 के नियम 8 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2662(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. सरोज कुमार घोष, प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता को पूरे भारत के लिए प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता, के रूप में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से उस पद पर नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति के प्रभार लेने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नीचे वर्णित औषधियों के वर्गों के सिवाय, औषधियों के सभी वर्गों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन न्यायालयों द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री के भेजे हुए नमूनों की जाँच और विश्लेषण के सांविधानिक प्रमाण-पत्रों और औषधि नियम, 1945 के प्ररूप -1 पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- (i) सेरा
- (ii) इंजेक्शन के लिए आशयित सीरम प्रोटीन्स का घोल;
- (iii) वैक्सीन;
- (iv) टॉक्सिन;

- (v) एंटीजन;
- (vi) एंटी- टॉक्सिन;
- (vii) विसंक्रमित शल्यबन्ध और विसंक्रमित टांके;
- (viii) बैक्टेरियोफेस;
- (ix) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी- सेरा;
- (x) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन;
- (xi) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स;
- (xii) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;
- (xiii) वी डी आर एल एंटीजन;
- (xiv) अन्तः गर्भाशय युक्तियाँ और फेलोप छल्ले;
- (xv) मानव रक्त और मानव रक्तोत्पाद;
- (xvi) मानव इम्युनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्त समूहन अभिकर्मक और नैदानिक किटें; और
- (xvii) कण्डोम

[फा. सं. एक्स.11014/4/2022-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

S.O. 3757(E).— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 8 of the Drugs Rules, 1945, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 2662(E), dated the 31st October, 2012 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises Dr. Saroj Kumar Ghosh, Director In-charge of Central Drugs Laboratory, Kolkata to sign statutory certificates of test or analysis on the samples of drugs and cosmetics sent by the Courts of Law under sub-section (4) of section 25 of the said Act or in Form 1 of the Drugs Rules, 1945, as the Director In-charge of the Central Drugs Laboratory, Kolkata, for the whole of India with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette till the regularly appointed person takes charge of the post or until further orders, whichever is earlier, in respect of all classes of drugs, except the classes of drugs mentioned below, namely: —

1. Sera
2. Solution of Serum Proteins intended for injection
3. Vaccines
4. Toxins
5. Antigens
6. Anti-toxins
7. Sterilised surgical ligature and sterilised suture
8. Bacteriophages

9. Anti-Sera for Veterinary use
10. Vaccines for Veterinary use
11. Toxoids for Veterinary use
12. Diagnostic Antigens for Veterinary use
13. VDRL Antigen
14. Intra-Uterine Devices and Falope Rings
15. Human Blood and Human Blood Products
16. Blood Grouping reagents and diagnostics kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis C Virus
17. Condoms.

[F. No. X.11014/4/2022-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.